

शिक्षा विभाग  
बिहार, पटना

शुद्धि पत्र

पटना, दिनांक.....

14 / वि.को. / वि.स.महा. / 02 / 2016.....स्वीकृत्यादेश संख्या-165 दिनांक  
28.03.2018 के कंडिका-09 को निम्न रूप से पढ़ा जाय।

स्वीकृत कुल राशि 89,29,95,500/- (नवासी करोड़ उनतीस लाख पनचानबे हजार पांच सौ) रू० मात्र की निकासी निर्गत स्वीकृत्यादेश के आधार पर सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से BTC-46/51 पर सेवा शीर्ष से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा की जायगी तथा विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मों के भुगतान हेतु राशि विश्वविद्यालय द्वारा खोले गये पी०एल० खाता में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायगी।

2. उक्त स्वीकृत्योदश की संबंधित कंडिका तदनुसार संशोधित समझा जाय।
3. स्वीकृत्यादेश की शेष कंडिका यथावत रहेगी।

ह०/-

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14 / वि०को० / वि०स०महा० / 02 / 16....

पटना, दिनांक ..... / ... / 2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-14 / वि०को० / वि०स०महा० / 02 / 16.....157

पटना, दिनांक ..... / ..... / 2018

प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, पटना/संबंधित विश्वविद्यालय/लेखापाल, उच्च शिक्षा /प्रशाखा पदाधिकारी-5, 14 एवं 15/प्रभारी वित्त रहित कोषांग/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव